भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4191
(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम सड़क सर्वेक्षण संबंधी ऐप

4191. श्री बिद्युत बरन महतोः
डॉ. के. सुधाकरः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री बलभद्र माझीः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का महाराष्ट्र और जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य और जिलावार किस प्रकार लाभ उठाकर बारहमासी ग्रामीण संपर्क का विस्तार कर रही है , विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां केंद्रित विकास सहायता की आवश्यकता है;

(ख) पीएमजीएसवाई के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू किए गए प्रमुख नवाचारों और कार्यनीतिक सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण सड़क विकास में दक्षता और समानता बढ़ाने के लिए ये नवाचार और सुधार पिछले चरणों की सफलताओं को किस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं;

(घ) ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप जैसे डिजिटल उपकरण पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पारदर्शिता , डेटा-आधारित नियोजन और लाभार्थी लक्षित किए जाने को किस प्रकार बढ़ा रहे हैं और अब तक कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ङ) पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में निम्न कनेक्टिविटी सूचकांक वाले क्षेत्रों को किस प्रकार प्राथमिकता दी जा रही

(च) आवश्यकता-आधारित नियोजन के माध्यम से बुनियादी ढांचे तक समान पहुँच किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है और उक्त योजना के अंतर्गत विशेषरूप से पहाड़ी और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को एकीकृत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(छ) परियोजना निष्पादन के दौरान पर्यावरणीय अनुपालन की किस प्रकार निगरानी की जा रही है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- IV (पीएमजीएसवाई-IV) को 2024 में 62,500 किलोमीटर बारहमासी सड़क (सिंगल लेन) के निर्माण के लिए शुरु किया गया है ताकि 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाले लगभग 25,000 असंबद्ध बसावटों को संपर्कता प्रदान की जा सके। यह योजना महाराष्ट्र सहित पूरे देश में लागू की जा रही है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत पात्र बसावटों की पहचान के लिए ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से एक नया सर्वेक्षण किया है, जिसे पारदर्शिता और सटीकता के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। मंत्रालय ने पीएमएसवाई-IV के अंतर्गत परियोजनाओं को मंज़ूरी देना शुरू कर दिया है और पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत लक्षित सड़क परियोजनाओं को समय पर मंज़ूरी देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को निरंतर शामिल कर रहा है , जिससे कार्यक्रम में पारदर्शिता और डेटा आधारित योजना को बढ़ावा मिला है।

पीएमजीएसवाई-IV के नए कार्यकलाप पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क सर्वेक्षण (जीएसएस) मोबाइल ऐप नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किया है, जिसे विशेष रूप से क्लस्टर-आधारित बसावटों सहित पीएमजीएसवाई- IV की असंबद्ध बसावटों के डिजिटल मानचित्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सर्वेक्षण ऐप से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर , पीएमजीएसवाई सड़कों की आयोजना पीएम गति शक्ति पर बनाई जा रही है , जिसमें बुनियादी ढांचे की आयोजना और विकास के लिए एक

एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण है। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) ने सड़क परियोजनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर पीएमजीएसवाई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए पीएम गति शक्ति से संबंधित एक भू-स्थानिक एआई टूल विकसित किया है।
ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) यानी कार्यक्रम एमआईएस को सड़क प्रस्तावों की प्रक्रिया और सिफारिशों को रिकॉर्ड करने के लिए उन्नत किया गया है ताकि जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। पीएमजीएसवाई की परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली को बेहतर परियोजना निगरानी और जियोटैग्ड , टाइमस्टैम्प्ड डेटा के माध्यम से प्रगति दर्ज करने हेतु सुदृढ़ किया गया है।

पीएमजीएसवाई I V में गुणवत्ता निगरानी के प्रथम स्तर अर्थात कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों द्वारा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की अवधारणा को भी शामिल किया गया है , ताकि पीएमजीएसवाई सड़कों की गुणवत्ता निगरानी के प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सके।
मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई सड़कों के दोष-उत्तरदायित्व अवधि (डीएलपी) के रखरखाव के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ई-मार्ग मॉड्यूल , यानी कार्यक्रम का रखरखाव एमआईएस, पीएमजीएसवाई सड़कों के डीएलपी के बाद रखरखाव की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

(घ) मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क सर्वेक्षण मोबाइल ऐप नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है, जिसे विशेष रूप से पीएमजीएसवाई-I V में असंबद्ध बस्तियों के डिजिटल मानचित्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है। हैबिटेशन जियो टैगिंग मोबाइल ऐप , असंबद्ध बसावटों के मानचित्रण की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को प्रस्तावित संरेखण के साथ-साथ उसके साथ स्थित आवश्यक सुविधाओं, जैसे स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम मंडियों और बैंकों की जियो-टैग की गई तस्वीरें लेने में सक्षम बनाता है। यह ऐप ऑफ़लाइन कार्यक्षमता प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता सीमित या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले दूरस्थ क्षेत्रों का मानचित्रण कर सकते हैं।

(ङ) पीएमजीएसवाई एक क्षेत्र विकास योजना है , इसलिए सामाजिक क्षेत्र श्रेणियों द्वारा संपर्कता प्रदान नहीं की जा रही है। पीएमजीएसवाई I V के तहत, असंबद्ध बसावटों के चयन के लिए जनसंख्या मानदंड 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), विशेष श्रेणी क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची-V क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, आकांक्षी ब्लॉक/जिले) में 250+ और 9 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र) में 100+ है। पीएमजीएसवाई I V को धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है , और निम्नलिखित

मानदंडों के आधार पर इन कार्यक्रमों के तहत चिन्हित असंबद्ध बसावटों को प्राथमिकता दी जाएगी:

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान :

(i) 2011 की जनगणना के अनुसार 500 या अधिक जनसंख्या और 50% या अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

(i i) जनगणना 2011 के अनुसार आकांक्षी जिलों में 250+ जनसंख्या श्रेणी में 50 या अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या।

पीएम-अजय के अंतर्गत, 2011 की जनगणना के अनुसार 500 या अधिक जनसंख्या तथा 40% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पर ध्यान केंद्रित किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त , प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) सड़क संपर्क घटक को भी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक अलग घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है , जिसकी कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2027-28 तक है। इस घटक के अंतर्गत 8000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है , जिसमें से अब तक 6,506 किलोमीटर संड़क लंबाई स्वीकृत की जा चुकी है।

(च) और (छ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण सड़कों के विनिर्देशों , भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के ग्रामीण सड़क मैनुअल (आईआरसी-एसपी: 20) और जहां आवश्यक हो , हिल रोड मैनुअल (आईआरसी:एसपी:48) और अन्य प्रासंगिक आईआरसी कोड और मैनुअल में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों के अनुसार किया जाता है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत नई सामग्रियों/अपशिष्ट सामग्रियों/स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके ग्रामीण सड़कों के निर्माण में नई/हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए , मंत्रालय ने "नई प्रौद्योगिकी पहल दिशानिर्देश- 2022 पर विजन दस्तावेज़" जारी किया है। राज्यों को ग्रामीण सड़कों के निर्माण में नई/हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जहां भी पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण में वन भूमि शामिल है , वहां राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को कानून के अनुसार वन विभाग से मंजूरी लेना आवश्यक है।
